

कार्यपालन यंत्री,

हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर

E-Mail : echiranwrd09@yahoo.in PH: 0761-2602441

पत्र क्र. 1075/हिरन/कार्य/2019  
प्रति.

जबलपुर दिनांक 26/4/2019

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध)

सतपुडा भवन भोपाल (म.प्र.)

विषय:- हिरन मध्यम परियोजना निर्माण हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम तौरी में हस्तांतरित भूमि विषयक।

संदर्भ:- 1- कलेक्टर जबलपुर का पत्र क्र. 3655/वनभूमि/हिरन/2018 दिनांक 01/12/2018  
2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र. एफ 3/79/2016/10-11/9/926 दिनांक 01/04/2019

---000---

विषयांतर्गत लेख है, कि हिरन मध्यम परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम तौरी (खसरा नं. 1) में गैर वन भूमि 79.54 हेक्ट. आवंटित की गई है।

संदर्भ क्र. (2) के विन्दु 5 के अनुसार 6.65 हेक्ट. भूमि प्रोजेक्ट फारेस्ट (कम्पार्टमेंट नं. 296) की है। आवंटित भूमि से 6.65 हेक्ट. हटाने के बाद भी 72.89 हेक्ट. आवंटन को शेष बचती है, जो आवश्यक 54.87 हेक्ट. से अधिक है। शेष बची 72.89 हेक्ट. भूमि में अगर कोई अतिक्रमण है तो स्टेज-2 की स्वीकृति के पूर्व उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त करा लिया जावेगा। इस हेतु कलेक्टर जबलपुर का पत्र संलग्न है। (संदर्भ क्र. 1 का अवलोकन करें)

सहपत्र:- शून्य।



(राम सलोने शर्मा)

कार्यपालन यंत्री

हिरन जल संसाधन संभाग

जबलपुर (म.प्र.)

पृ. क्र. 1075/हिरन/कार्य/2019

जबलपुर दिनांक 26/4/2019

प्रतिलिपि:-

- 1- वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र. 3 कुण्डम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र:- शून्य।



(राम सलोने शर्मा)

कार्यपालन यंत्री

हिरन जल संसाधन संभाग

जबलपुर (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला जयलपुर (म.प्र.)

पत्र क्र. 3653/वन भूमि /हिरन /2018  
प्रति,

जयलपुर दिनांक 11/12/2018

वन मण्डलाधिकारी,  
सामान्य वन मण्डल  
जयलपुर (म.प्र.)

विषय:- हिरन मध्यम परियोजना निर्माण हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम तौरी में हस्तांतरित भूमि में अतिक्रमण हटाने बाबत।

---00---

हिरन मध्यम परियोजना के लिए पूर्व में ग्राम तौरी के खसरा क्र. 1 ग्राम तौरी रकबा 79.54 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है, जिससे आपके स्तर से अतिक्रमण की सूचना प्राप्त हुई है इस संबंध में अवगत कराया जाता है, कि स्टेज-2 स्वीकृति के पूर्व उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया जावेगा।

सहपत्र:- शून्य।

(छवि भारद्वाज)

कलेक्टर,

जिला जयलपुर

पृ. क्र. 3653-A/वन भूमि /हिरन /2018  
प्रतिलिपि:-

जयलपुर दिनांक 11/12/2018

- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए संप्रेषित।
- 2- कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जयलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुण्डम जिला जयलपुर को आवश्यक कार्यवाही व दर्शित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित है।

सहपत्र- शून्य।

(छवि भारद्वाज)

कलेक्टर,

जिला जयलपुर